समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
संयुक्त आदेश

मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखण्ड में दशहरा एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर हुए साम्प्रदायिक तनाव के मद्देनजर यह पाया गया कि इंटरनेट एवं मोबाईल के द्वारा विभिन्न मीडिया ग्रुप यथा-फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि के माध्यम से अफवाहों को फैलाया गया। इस क्रम में छापामारी के दौरान जप्त किए गए मोबाईलों की जांच की गयी, जिसमें उक्त तथ्य को सत्य पाया गया, जिससे साम्प्रदायिक तनाव एवं गतिरोध बढ़ा। उक्त घटना को देखते हुए जिला स्तर पर एक मौनटरिंग कोषांग का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र0	वरीय प्रभारी पदाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी /कर्मी	पुलिस कर्मी
01	1-श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा 2-श्री राजेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा	1-श्री सुनील कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा 2-सुश्री मोनालिशा कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा	1-श्री सुनील कुमार भगत, ~~सिपाही~~ अनि, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मधेपुरा 2-श्री अमर कुमार, सिपाही, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मधेपुरा

उक्त कोषांग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी /कर्मी का दायित्व होगा कि सभी प्रकार के मीडिया ग्रुप का अनुश्रवण कर तथा प्राप्त सूचनाओं को लेखनबद्ध करेंगे तथा इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आई0पी0सी0 एवं आई0टी0 अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत् सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित थाना को तहरीर भेजी जाएगी। मधेपुरा के सामान्य नागरिकों द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वाट्सएप ग्रुप में इस कोषांग का मोबाईल नं0 9955948775 अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। वैसे वाट्सएप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनका मोबाईल नं0 नहीं जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जिले के सभी Facebook Group पर भी Madhepura Monitor को Friend request भेजा जाएगा और इसे ग्रुप में जोड़ा जाएगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 2520 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 18/10/2016

प्रतिलिपि : प्रतिनियुक्त सभी संबंधित पदाधिकारी /कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।